न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना RAS

प्रकरण संख्या:– 38 /2017 दायर दिनांक :– 06.10.2017

इन्द्रादेवी धर्मपत्नी मुनीराम जाति जाट निवासी कुचोर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर (राजस्थान)। **वादी**

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी टोडीगुडा गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला सीकर हाल निवासी रोडवेज बस डिपो बीकानेर
2. रेखाराम पुत्र परमाराम जाति जाट
3. शिवनारायण पुत्र रामलाल जाति जाट
4. आसूसिंह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत निवासी

(2 से 4) निवासी सोनियासर ऊचाईड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

5. स्टैट जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अर्न्तगत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 88,188

उपस्थित:–
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री बंजरगलाल चोटिया प्रतिवादीसंख्या 1 ता 4
3. श्री राज पेरापकार

निर्णय दिनांक :–18.01.2019

वादी ने जरिये अभिभाषक इस न्यायालय में वास्ते घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का एक दावा पेश किया जिसके जो सक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी के सयुक्त खातेदारी के पुराने खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 3.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी 0.7400 हैक्टेयर रोही सोनियासर ऊचाईडा में स्थित थे जिसका विभाजन वादीनी एवं प्रतिवादी ने दिनांक 10.11.2014 को किया गया था। विभाजन के समय वादीनी का कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 3.1200 हैक्टेयर में से 0.2740 हैक्टेयर मध्य में कब्जा काश्त चला आ रहा था जो आज भी लगातार उसी अनुसार कब्जा काश्त कायम है। वादीनी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से उपरोक्त खेतो के विभाजन करवाने पर वादीनी के हिस्से की तरमीम सहवन से मौके कब्जे के विपरीत पूर्वी हो गई जबकि वादीनी का कब्जा काश्त दक्षिणी हिस्से में सलग्न नक्शानुसार मध्य में चला आ रहा है। वादीनी का कब्जा काश्त मूल खेत खसरा नम्बर 298 तादादी 3.1200 हैक्टेयर के मध्य में स्थित है जबकि विभाजन में वादीनी के खसरे की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत पूर्वी तरफ दर्ज हो गई है एवं वादीनी एवं प्रतिवादी के उक्त खेतो के मध्य में कट्टाणी रास्ता कायम है जो वर्तमान में प्रचलन में नही है एवं उक्त रास्ते के स्थान पर मौकेपर ग्रामीण सड़क दर्ज हो गई है उक्त रास्ता मौके पर प्रचलन में नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज है। जिसको रास्ते के स्थान पर बारानी किया जाना एवं तरमीम को मौके कब्जे के अनुसार करवाया जाना जरूरी हो गया है। वादीनी का अपने खेत पर कब्जा एवं उपयोग अपभोग सड़क पर मध्य में चला आ रहा है। एवं मौके पर रास्ता कायम नही है। कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग अनुसार ही वादी घोषणा के जरिये अपने खेत की तरमीम राजस्व रिकार्ड में मौके कब्जे के अनुसार एवं रास्ते की तरमीम डिलीट करवाकर बारानी दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादीनी की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट मे मौके कब्जे के विपरीत होने एवं मौके पर सड़क कायम होने के बावजूद रास्ता दर्ज होने से वादीनी को कई तरह की परेशानिया आती है। वादीनी अपने खसरे की तरमीम कब्जा एवं

- - - 2पर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मौका के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने एवं रास्ते को डिलीट करवाने की अधिकारी है। अतः दावा पेश कर अर्ज है कि वादीनी के खेत खसरा नंबर 457/298 तादादी 0.2740 हैक्टेयर रोही सोनियासर ऊचाईड़ा की तरमीम राजस्व नक्शा अक्स में कब्जा काश्त के अनुसार घोषित की जावें एवं राजस्व अवश एवं रिकार्ड में दर्ज गै.मु. रास्ता 0.0140 हैक्टेयर को बारानी घोषित किया जावे।

वादी को धारा 80(2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर दावा दर्ज करके वादीनी के उक्त वाद पर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं राजीनामा पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा एवं सलग्न प्रस्तावित नक्शे के अनुसार वादीनी एवं प्रतिवादीगण मौके पर राजस्व नक्शे की सीमाओ में अन्तर है मौके पर कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड के विपरीत है एवं मौके पर जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है वहा वर्तमान सड़क दर्ज हो चुकी है जो एक ही स्थान पर रास्ता एवं सडक दोनो का कोई ओचित्य नही है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। न्यायालय वादगत खेतो की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार एवं रास्ता को बारानी में किया जाना उचित उचित समझता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 457/298 तादादी 0.2740 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258/298 तादादी तादादी 2.8460 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी 0.7400 हैक्टेयर रोही सोनियासर ऊचाईडा तहसील श्री डूँगरगढ के राजस्व नक्शे की तरमीम संलग्न नक्शे के अनुसार घोषित की जाती है एवं उक्त खसरानो में दर्ज गै.मु. रास्ता की किस्म बारानी किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करें। डिक्री जारी हों । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

आज दिनांक 18.01.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ़ जिला–बीकानेर(राज.)

मूलवाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना RAS

प्रकरण संख्याः– [illegible]/2018/38 दायर दिनांक :– 6.09.2017

इन्द्रादेवी धर्मपत्नी मुनीराम जाति जाट निवासी कुचोर आथुणी तहसील नोखा जिला बीकानेर (राजस्थान)। वादी

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी टोडीगुडा गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला सीकर हाल निवासी रोडवेज बस डिपो बीकानेर
2. रेखाराम पुत्र परमाराम जाति जाट
3. शिवनारायण पुत्र रामलाल जाति जाट
4. आसूसिंह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत निवासी
5. स्टैट जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़

(2 से 4) निवासी सोनियासर ऊचाईड़ा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अर्न्तगत
आर.टी.एक्ट 1955 धारा 88,188

उपस्थितः–
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री बंजरगलाल चोटिया प्रतिवादीसंख्या 1 ता 4
3. श्री राज पेरापकार

डिक्री दिनांक :–18.01.2019

वादी की ओर से वकील श्री राजूराम बाना एवं प्रतिवादीगण की ओर श्री के के पुरोहित की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.01.2019 को पीठासीन अधिकारी रामरख मीना RAS उपखण्ड अधिकारी श्रीडूगरगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि खेत खसरा नम्बर 457/298 तादादी 0.2740 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258/298 तादादी तादादी 2.8460 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 तादादी 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 300 तादादी 0.7400 हैक्टेयर रोही सोनियासर ऊचाईडा तहसील श्री डूॅगरगढ के राजस्व नक्शे की तरमीम संलग्न नक्शे के अनुसार घोषित की जाती है एवं उक्त खसरानो में दर्ज गै.मु. रास्ता की किस्म बारानी किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करें। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूगरगढ़ जिला–बीकानेर (राज.)
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी महोदय
श्रीडूंगरगढ़

इन्द्रादेवी बनाम मनोजकुमार

...वित नजरी नक्शा

संकेत:- — पुरानी सीमाएं
— प्रस्तावित सीमाएं

नोट:- माप फुट में दर्शाया है।

→ पूर्व

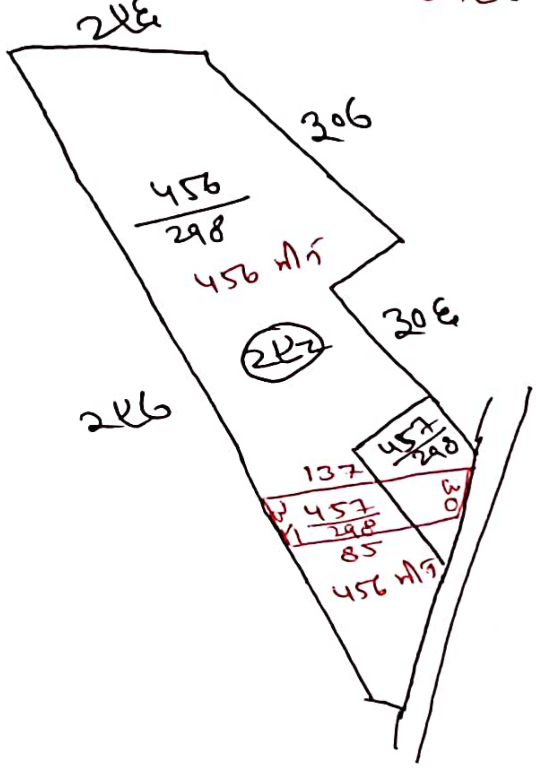

पक्षकारान:-

इन्द्रा

शिवनारायण

सरपंच
ग्रा.पं. सोनियासर मीठा
पं.स. श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

इन्द्रा